श्री तरूण कुमार, प्रोपः मैसर्ज श्री गंगा स्टोन क्रशर एवं स्क्रीनिंग प्लांट, गांव व डाकघर अप्पर बसाल, तहसील व जिला ऊना (हि.प्र.) के द्वारा खसरा नंबर 592, 593, 595, 604, 636, 2226/586, 2227/586 एवं 2228/591 मौजा/मोहाल संझोट, तहसील व जिला ऊना (हि.प्र.), कुल खनन क्षेत्र 02–91–57 हैक्टेयर (निजी भूमि, पहाड़ी ढलान) में से रेत, पत्थर व बजरी के खनन, कुल मात्रा 56,260 टन प्रतिवर्ष के प्रस्ताव पर आयोजित पर्यावरणीय जन सुनवाई की कार्यावाही का विवरण।

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आज दिनांक 09.10.2024 को सुबह 11:30 बजे, श्री तरूण कुमार, प्रोपः मैसर्ज श्री गंगा स्टोन क्रशर एवं स्क्रीनिंग प्लांट, गांव व डाकघर अप्पर बसाल, तहसील व जिला ऊना (हि.प्र.) के द्वारा खसरा नंबर 592, 593, 595, 604, 636, 2226/586, 2227/586 एवं 2228/591 मौजा/मोहाल संझोट, तहसील व जिला, ऊना (हि.प्र.), कुल खनन क्षेत्र 02–91–57 हैक्टेयर (निजी भूमि, पहाड़ी ढलान) में से रेत, पत्थर व बजरी के खनन, कुल मात्रा 56,260 टन प्रतिवर्ष के प्रस्ताव पर ग्राम पंचायत नंगल सलांगड़ी के पंचायत कार्यालय के साथ स्थित खुले मैदान में, तहसील व जिला ऊना (हि.प्र.) में पर्यावरणीय जन सुनवाई का आयोजन भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्या एस ओ – 1533 (अ) दिनांक 14 सितम्बर 2006 के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार माननीय अतिरिक्त उप आयुक्त एवं अध्यक्ष पर्यावरण जन सुनवाई की अध्यक्षता में करवाया गया।

इस पर्यावरणीय जन सुनवाई के दौरान, खनन अधिकारी ऊना, विभिन्न विभागो के अधिकारीगण, स्थानीय ग्राम पंचायतो के प्रतिनिधि, प्रस्तावित खनन परियोजना के प्रस्तावक व उनके परामर्शदाता और स्थानीय व निकटवर्ती गांवो के निवासी उपस्थित थे। जनसुनवाई की उपस्थिति शीट **संलग्नक–1** के रूप मे संलग्न की गई है।

सर्वप्रथम, श्री प्रवीण कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय ऊना ने अध्यक्ष महोदय, विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों, स्थानीय पंचायत के प्रतिनिधियों, प्रस्तावित इकाई के प्रस्तावक व उनके परामर्शदाता और उपस्थित जनता का अभिनन्दन किया। उन्होनें पर्यावरणीय जनसुनवाई के आयोजन के संबंध मे जनसमूह को एक विस्तृत जानकारी दी और तत्पश्चात अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से जन सुनवाई की कार्यावाही आरम्भ की।

तत्पश्चात, क्षेत्रीय अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय ऊना ने प्रस्तावित खनन परियोजना के प्रस्तावक के परामर्शदाता (मैसर्स चंड़ीगढ पॉल्यूशन टैस्टिंग लैबोरेटरी मोहाली पंजाब) को प्रस्तावित खनन परियोजना की विस्तृत जानकारी जनसमूह को देने का निवेदन किया। इसके उपरान्त प्रस्तावित खनन परियोजना के परामर्शदाता द्वारा प्रस्तावित परियोजना के प्रस्ताव की विस्तृत जानकारी उपस्थित जनसमूह कों दी गई। इस विस्तृत जानकारी के उपरान्त सहायक पर्यावरण अभियंता ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्हें प्रस्तावित खनन परियोजना के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपनें सुझाव, विचार, टिप्पणियां एवं आपत्तियों को बिना किसी दबाव व भय के पूछने को कहा।

इस पर्यावरण जन सुनवाई की संपूर्ण कार्यवाही की वीडियोग्राफी भी की गई। इस पर्यावरण जन सुनवाई के दौरान उठाए गए मुद्दों एवं उन पर की गई टिप्पणियों की कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार सें हैं:

क्रमांक	नाम व पता	मामले/ सुझाव	उत्तर
1.	श्री विक्रम सिंह, गांव संझोट, तहसील व जिला ऊना (हि.प्र.)	उन्होंने बताया कि उनकी आटा चक्की सड़क के किनारे मोड पर, खड्ड के पार स्थित है, और उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज करवाई कि खनन गतिविधियों से जुड़े वाहन बिना तिरपाल के ढके तेज गति से और लगातार हॉर्न बजाते हुए गुजरते हैं। इस कारण उनकी चक्की के सामने भारी मात्रा में धूल उड़ती है, जिससे चक्की के बाहर रखे मेज और अन्य सामान पर धूल की परत जम जाती है। उन्होंने यह भी बताया कि गांव के विद्यालय में छुट्टी के बाद जब बच्चे घरों की ओर निकलते हैं, तब भी इन टिप्परों की आवाजाही जारी रहती है, जिससे दुर्घटना का खतरा हमेशा बना रहता है। उन्होंने प्रशासन से अनुरोध किया कि इस मोड़ पर गति अवरोधकों का निर्माण	प्रस्तावित परियोजना के परामर्शदाता ने खनन पट्टे के प्रस्तावक की ओर से आश्वासन देते हुए कहा कि जब भी प्रस्तावित लीज क्षेत्र में खनन का कार्य प्रारंभ होगा, टिप्परों में माल की ढुलाई तिरपाल से ढक कर की जाएगी ताकि खनन सामग्री बाहर न गिरे। साथ ही, टिप्परों की गति 15 किमी प्रति घंटे की निर्धारित सीमा के भीतर ही रखी जाएगी, और आवश्यकता पड़ने पर सड़क पर गति अवरोधकों का निर्माण भी करवाया जाएगा। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया कि लोगों के कार्यस्थलों पर आने–जाने के समय और स्कूल के खुलने तथा छुट्टी के समय

		किया जाए, जिससे टिप्परों की गति कम हो और उन्हें धूल आदि की समस्या से राहत मिल सके।	टिप्परों की आवाजाही सड़क पर नहीं होगी।
2.	श्री सतवंत सिंह, निवासी ग्राम पंचायत नंगल सलांगडी, तहसील व जिला ऊना (हि.प्र.)	उन्होंने खनन गतिविधियों से जुड़े वाहनों की अत्यधिक गति का मुद्दा उठाया और बताया कि टिप्पर चालकों द्वारा गांव में बहुत ही लापरवाही से वाहन चलाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि गांव के कुछ हिस्सों में सड़के संकीर्ण (सिंगल लेन) हैं, जिससे इन टिप्परों की तेज गति के कारण दुर्घटनाओं का हमेशा खतरा बना रहता है। उन्होंने खनन पट्टा धारक से अनुरोध किया कि वह टिप्पर चालकों को निर्धारित गति सीमा का पालन करने का निर्देश दें और सड़क पर अन्य वाहनों, विशेषकर दोपहिया वाहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी निर्देश जारी करने का अनुरोध किया इस बात की नियमित निगरानी की जाए कि टिप्पर निर्धारित गति सीमा का पालन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने खनन गतिविधियों के कारण गांव में धूल–मिट्टी की समस्या पर भी प्रकाश डाला।	प्रस्तावित परियोजना के परामर्शदाता ने बताया कि खनन परियोजना में टिप्परों की गति 15 किमी प्रति घंटे पर निर्धारित की जाएगी। इसके अलावा, चालकों को प्रशिक्षित किया जाएगा और आवश्यक जानकारी दी जाएगी कि माल की ढुलाई कैसे सुरक्षित रूप से करनी है, विशेषकर आवासीय क्षेत्रों और यह कि कार्यालय और स्कूल के समय पर टिप्परों की आवाजाही ना हों।
3.	श्री प्रेमपाल, निवासी ग्राम पंचायत नंगल सलांगडी, तहसील व जिला ऊंना (हि.प्र.)	उन्होंने परामर्शदाता के इस दावे पर संदेह जताया कि टिप्पर चालक 15 किमी प्रति घंटे की निर्धारित गति सीमा के तहत ही वाहन चलाएगें। उन्होनें कहा कि यह दावा मात्र आशवासन है और इस जमीनी स्तर पर अमल होने की कोई गारंटी नही है। अतएव उन्होनें आग्रह किया कि टिप्पर चालकों से निर्धारित गति सीमा का पालन करवान हेतु विशेष प्रावधान किये जाए।	प्रस्तावित परियोजना के परामर्शदाता ने दोहराया कि खनन परियोजना में टिप्पर चालाको 15 किमी प्रति घंटे निर्धारित गतिसीमा में ही वाहन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
4.	श्री महेन्द्र सिंह, उप प्रधान, ग्राम पंचायत नंगल सलांगडी, तहसील व जिला ऊना (हि.प्र.)	उन्होनें कहा कि उन्हें प्रस्तावित खनन परियोजना की स्थापना से कोई आपत्ति नही है।	

जनसुनवाई की कार्यावाही के दौरान एवं कार्यक्रम के बाद भी लिखित में कोई भी सुझाव, विचार, टिप्पणी या आपत्ति प्राप्त नही हुई।

पर्यावरणीय जनसुनवाई कार्यक्रम मे उपस्थित स्थानीय जनता की राय के अनुसार अधिकतम लोग प्रस्तावित खनन परियोजना की स्थापना के पक्ष मे हैं।

अंतः में श्री प्रवीण कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ऊना ने अध्यक्ष महोदय एवं अन्य सभी प्रतिभागियों का इस पर्यावरण जन सुनवाई मे भाग लेने का धन्यवाद किया।

महेन्द्र पाल गुर्जर (भा.प्र.से.)
अतिरिक्त उपायुक्त
ऊना, जिला ऊना (हि.प्र.)

Proceeding of Environmental Public Hearing organized by HP State Pollution Control Board Una according to the provisions of EIA Notification No: S.O. 1533 (E) Dated: 14/09/2006 on the proposal submitted by Sh. Tarun Kumar, Prop: M/s Shree Ganga Stone Crusher & Screening Plant, VPO Upper Basal, Tehsil & Distt. Una (HP) for extraction of Sand, Stone & Bajri @ 56,260 TPA at Khasra Nos. 592, 593, 595, 604, 636, 2226/586, 2227/586 & 2228/591 falling in Mauza/Mohal Sanjhot, Tehsil & Distt. Una (HP) over an area measuring 02-91-57 Hectares (Private Land, Hill Slope), on 09/10/2024 at 11:30 AM at adjoining open ground of Panchayat Ghar of Gram Panchayat Nangal Salangri, Tehsil & Distt. Una (HP)

Environmental Public Hearing on the proposal submitted by Sh. Tarun Kumar, Prop: M/s Shree Ganga Stone Crusher & Screening Plant, VPO Upper Basal, Tehsil & Distt. Una (HP) for extraction of Sand, Stone & Bajri @ 56,260 TPA at Khasra Nos. 592, 593, 595, 604, 636, 2226/586, 2227/586 & 2228/591 falling in Mauza/Mohal Sanjhot, Tehsil & Distt. Una (HP) over an area measuring 02-91-57 Hectares (Private Land, Hill Slope), was organized by HP State Pollution Control Board, Regional Office Una on 09/10/2024 at 11:30 AM at adjoining open ground of Panchayat Ghar of Gram Panchayat Nangal Salangri, Tehsil & Distt. Una (HP). This public Hearing was organized by HP State Pollution Control Board under the Chairmanship of Additional Deputy Commissioner Una cum Chairman of Environmental Public Hearing, according to prescribed process of public Hearing.

In the Public Hearing, Mining Officer Una, Officers/Officials of various Departments of local Administration, Representatives of local Gram Panchayats and residents of local & nearby villages were also present. The attendance sheet of participants in the public hearing is enclosed as **Annex-I.**

First of all, Er. Praveen Kumar, Regional Officer, HP State Pollution Control Board Una, welcomed the Chairman, Officers/Officials of various Departments of local Administration, representative of Local Panchayats, Project Proponent & their consultant and the Public. Thereafter he gave detailed information to the people present regarding organization of the Environmental Public Hearing and started the process of Environmental Public Hearing with the permission of ADC cum Chairman of the Environment Public Hearing.

Thereafter, the Regional Officer, HPSPCB Una requested the Consultant of the Project Proponent from M/s Chandigarh Pollution Testing Laboratory, Mohali (Pb) to provide the detailed information of their proposed project for the extraction/collection of sand, stone & bajri to the public. After the detailed description of various aspects of proposed mining lease project given by the consultant to the public, the Regional Officer, HP State Pollution Control Board Una asked the people present in the Environment Public Hearing to express their views, comments, suggestion and objections on the proposed mining project, without any fear and pressure from any corner.

Videography of the Public hearing was also conducted. Accordingly, the proceeding of the Environmental Public Hearing was recorded and the same is reproduced hereunder:

S. No.	Name and Address	Issues raised/Suggestions submitted	Reply of Issues raised/ Suggestions submitted
1.	Sh. Vikram Singh, Village Sanjhot, Tehsil & Distt. Una (HP)	He said that his Atta Chakki is located at the turn of the road, across the Khad, and he complaint that vehicles associated with mining activities pass by at high speeds without being	The Consultant for the proposed mining project has given assurance on behalf of the mining lease applicant that whenever mining activities

		covered by tarpaulins, constantly honking their horns. As a result, a large amount of dust is raised in front of his Atta Chakki, which settles as a layer of dust on the tables and other items placed outside the Chakki. He also mentioned that after school hours, when children are heading towards home, the movement of these tippers continues, which always poses a risk of accidents. He requested the administration to construct speed breakers at the said turn to reduce the speed of the tippers and provide relief from the dust etc.	begin in the proposed lease area, the materials in the tippers will be covered with tarpaulins to prevent the mining materials from falling out during transportation. Additionally, the speed of the tippers will be maintained within the prescribed limit of 15 km per hour, and if necessary, speed breakers will be constructed on the road. He also assured that the movement of tippers will not take place on the road during the times when people are commuting to and from their workplaces, as well as during school opening and closing hours.
2.	Sh. Satwant Singh, VPO Nangal Salangri, Tehsil & Distt. Una (HP)	He raised the issue of the excessive speed of vehicles associated with mining activities and reported that tipper drivers driven their vehicles very recklessly in the village. He stated that some parts of the village have narrow (single-lane) roads, which always pose a risk of accidents due to the high speed of these tippers. He requested the mining lease holder to instruct the tipper drivers to adhere to the prescribed speed limit and to ensure the safety of other vehicles on the road, especially two-wheelers. He also requested the issuance of directions for regular monitoring to ensure that the tippers are complying with the speed limit. Additionally, he highlighted the issue of dust and dirt in the village caused by mining activities.	The Consultant for the proposed mining project apprised that the speed of the tippers in the mining project will be fixed at 15 km per hour. Additionally, the drivers will be trained and provided with the necessary information on how to transport goods safely, especially in residential areas, and that the movement of tippers should not occur during office and school hours.
3.	Sh. Prem Pal, VPO Nangal Salangri, Tehsil & Distt. Una (HP)	He expressed doubt regarding the Consultant's claim that the tipper drivers would operate their vehicles within the prescribed speed limit of 15 km per hour. He stated that this claim is merely an assurance and there is no guarantee of its implementation at the ground level. Therefore, he requested that special provisions be made to ensure compliance with the prescribed speed limit by the tipper drivers.	The Consultant for the proposed project reiterated that the tipper drivers in the mining project will be trained to operate their vehicles within the prescribed speed limit of 15 km per hour.
4.	Sh. Mahender	He stated that he has no objections to	

	Singh, Vice Pradhan, Gram Panchayat Nangal Salangri, Tehsil & Distt. Una (HP)	the establishment of the proposed mining project.	

During the proceedings of the public hearing and even after the programme, no written suggestion, idea, comment or objection was received.

As per the opinion of the local public, present in the Env. Public Hearing Programme, maximum people are in favour of the proposed mining project.

In the end, Er. Praveen Kumar, Regional Officer, Himachal Pradesh State Pollution Control Board, Una thanked the Chairman and all other participants for participating in this environmental public hearing.

Mahendra Pal Gurjar (I.A.S)
Additional Deputy Commissioner
Una, Distt. Una (HP)